संख्या-26/2020/203/71-2-20-पी-32/2012

प्रेषक,

आलोक कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 06 मार्च, 2020

विषयः-एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ परिसर में टाईप-4 के आवासीय भवनों (स्टिल+10 मंजिल) 40 नग के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 2695.03 लाख के अंतर्गत जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पीजीआई/सिविल/अभि0/एन0बी0-84/08/ 2019, दिनांक 09.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 में टाईप-4 के आवासीय भवनों (स्टिल+10 मंजिल) 40 नग के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि रू0 82.25 लाख के भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान परिसर में उक्त टाईप-4 के आवासीय भवनों (स्टिल+10 मंजिल) 40 नग के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 2695.03 लाख के अंतर्गत जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष रू0 82.25 लाख अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03- संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- निदेशक/ वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-26/2020/203(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. महाप्रबन्धक, (नि-10)/नो0अधि0, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।